


14/5/2022

187

पत्रावली भाष्य लोके अदालत में
में वादी मय वकील द्वारा पत्रावली
दिनांक 14.05.2022 को पेश हुई वादी
वकील उक्त दावा को नोट प्रेष
में खारिज करवाने बाबत अंतरलेख
दी गई। दावा वादी जण नोट प्रेष
में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल कुमार होकर
सम्बर से उस की जाकर दाखिल
दफ्तर है।


अध्यक्ष
लोक अदालत
भरतपुर


लोक अदालत
भरतपुर